न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 187 / 2023	रजू दिनांक 17.05.2023 उनवान	निर्णय दिनांक 20.06.2023

1. अमित यादव पुत्र राजवीर यादव जाति अहीर निवारी ग्राम कुंजपुरा तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
2. साविता पत्नी सुरेश कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम कोहराना तह0 बहरोड जिला अलवर।

बनाम :–वादीगण।

1. मनोज पुत्र सहीराम पुत्र सुखराम जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तह0 नीमराना।
2. सुनिल देवी पत्नी स्व0 सहीराम पुत्र सुखराम जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तह. नीमराना जिला अलवर।
3. उपपंजीयक नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
5. बैक ऑफ बडौदा शाखा बहरोड जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकासीम आराजी एंव हु0ई0दवामी।
अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति:– 1 श्री एम0डी0शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री पीताम्बर एड0 प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 326 / 0.78 वाके ग्राम डूमरोली तह0 नीमराना मे स्थित है,जिसके हम प्रत्यके वादीगण हिस्सा 1/3 के व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 के पिता सहीराम पुत्र सुखराम हिस्सा 1/3 का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। सहीराम फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान उसके लडको दावा मे प्रतिवादी सं. 01 व 02 बनाये गये है। जमाबंदी हाल की नकल संलग्न है। आराजी मुतनाजा का मौके पर हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पिता स्व0 सहीराम ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिस बंटवारा के मुताबिक ख.नं. 326 मे 1/3 हिस्सा तरफ उत्तर (पूर्व से पश्चिम) वादी सं. 01 के हिस्से मे तथा 1/3 हिस्सा मध्य भाग वादी सं. 2 के हिस्से मे एंव 1/3 हिस्सा तरफ दक्षिण का प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पिता सहीराम के हिस्से मे आया था तथा सहीराम की मृत्यु कें बाद उक्त हिस्से पर मालिक की हैसियत से प्रतिवादी सं. 01 व 02 काबिज काश्त है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से आराजी का विधिवत तकासमा करवाने के लिए प्रतिवादीगण को काफी बार कहा परन्तु प्रतिवादी सं. 01 व 02 आराजी मुतनाजा के बाहमी बंटवारा से मुकर गये व हम वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे दिगर जगह मुंतकिल करने की फिराक मे है। दिनांक 08.05.2023 का वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 व 02 को आराजी मुतनाजा का तकासमा कराने से साफ इंकार हो गए इसलिए वादीगण को यह वाद इस्तकरार हक व तकासमा आराजी एंव हु0ई0दवामी पेश करना आवश्यक हुआ है। .

2. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं:–
(क) डिक्री इस्तकरार हक व तकसीम आराजी इस अमर की जारी की जावे की आ.ख. नं हाल 326 / 0.78 वाके डूमरोली तह0 नीमराना के हिस्सा 1/3 तरफ उत्तर को बाहमी बंटवारा के मुताविक तकसीम किया जा कर उसका खातेदार वादी सं. 01 को तथा हिस्सा

कारी
लवर)

1/3 मध्यभाग को बाहमी बंटवारा के मुताबिक तकसीम किया जाकर उसका खातेदार वादी सं. 02 को तथा हिस्सा 1/3 तरफ दक्षिण का बाहमी बंटवारा के मुताबिक तकसीम किया जाकर उसकें संभाग खातेदार प्रतिवादी सं. 01 व 02 को घेापित किये जावे। तथा इसी अनुसार अलग अलग खाताबंदी की जाकर जमाबंदी नक्शा ट्रेस और ख.खिरदावरी,एंव राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटने के आदेश दिये जावे। अगर तकासमा के मुताबिक मौके पर दखल दिलवाने मे किसी प्रकार की अडचन आने पर पुलिस जाप्ता के जरिये दखल दिलवाया जाने के आदेश दिये जावें।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि वो विवादित आराजी का जब तक विधिवत रूप तकासमा ना हो तब तक रहन बय नही करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ना ही वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलव किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी सं0 01 व 02 व वादीगण ने संयुक्त रूप से एक लिखित राजीनाम पेश किया राजीनामा बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया जा कर पक्षकारान को सुना गया।

4. राजीनामा मे पक्षकाराने ने अंकित किया है कि आराजी विवादित 326/0.78 वाके ग्राम डूमरोली मे वादीगण प्रत्यके का 1/3हिस्सा व प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पिता सहीराम पुत्र सुखराम का 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है तथा वाद को मुताबिक दावा के डिक्री किये जाने पर हम प्रतिवादी सं. 01 व 02 को कोई आपत्ति नही है। राजीनाम को वाद का अभिन्न अंग माना जावे तथा उक्तानुसार ही आराजी विवादित का तकासमा किया जाकर अलग अलग खाताबंदी की जावे।

5. वादीगण ने साक्ष्य मे जमाबंदी संवत 2073–76 पेश की है। हमने पक्षकारान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा मे अंकित किया है कि आराजी विवादित का मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है, जिसके अनुसार मौके पर आराजी मुतनाजा के 1/3 हिस्सा तरफ उत्तर को वादी सं. 01 का हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा मध्यभाग मे वादी सं. 02 का है तथा 1/3 हिस्सा तरफ दक्षिण को प्रतिवादी सं. 01 व 02 का है इसी मुताबिक मौके पर पृथक पृथक काबिज काश्त है। राजीनामा मे इसी अनुसार आराजी विवादित का तकासमा किया जाना स्वीकार किया है। इसलिए मौके पर कुर्रे कायम कराये जाने की आवश्यकता नही है। वाद वादीगण बरूवे राजीनामा बाबत तकासमा आराजी अंतिम डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

6. **अतः आदेश है कि:–**

वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बरूवे राजीनाम डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम डूमरोली तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	किस्म
1	1. अमित यादव पुत्र राजवीर यादव जाति अहीर सा0 कुंजपुरा तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा खातेदार।	326/ 1	0.26 तरफ उत्तर	

2	1. सविता पत्नी सुरेश कुमार जाति अहीर सा0 ग्राम कोहराना तह0 बहरोड खातेदार।	326/2	0.26 मध्यभाग	
3	1. मनोज पुत्र सहीराम,सुनिल देवी पत्नी सहीराम जाति अहीर निवासी डूमरोली तह0 नीमराना संभाग खातेदार।	326/3	0.26 दक्षिण भाग	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल लेख भंडार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/6/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुल सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 187 / 2023	रजू दिनांक 17.05.2023 उनवान	निर्णय दिनांक 20.06.2023

1. अमित यादव पुत्र राजवीर यादव जाति अहीर निवासी ग्राम कुंजपुरा तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
2. सविता पत्नी सुरेश कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम कोहराना तह0 बहरोड जिला अलवर।

:-वादीगण।

बनाम

1. मनोज पुत्र सहीराम पुत्र सुखराम जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तह0 नीमराना।
2. सुनिल देवी पत्नी स्व0 सहीराम पुत्र सुखराम जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तह. नीमराना जिला अलवर।
3. उपपंजीयक नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
5. बैक ऑफ बडौदा शाखा बहरोड जिला अलवर।

:-प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकासीम आराजी एंव हु0ई0दवामी।
अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:- 1 श्री एम0डी0शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री पीताम्बर एड0 प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से।

-::पर्चा डिक्री::-

वाद वादीगण बावत तकासमा आराजी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वरूवे राजीनाम डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम डूमरोली तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :-

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	किस्म
1	1. अमित यादव पुत्र राजवीर यादव जाति अहीर सा0 कुंजपुरा तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा खातेदार।	326 / 1	0.26 तरफ उत्तर	
2	1. सविता पत्नी सुरेश कुमार जाति अहीर सा0 ग्राम कोहराना तह0 बहरोड खातेदार।	326 / 2	0.26 मध्यभाग	
3	1. मनोज पुत्र सहीराम,सुनिल देवी पत्नी सहीराम जाति अहीर निवासी डूमरोली तह0 नीमराना संभाग खातेदार।	326 / 3	0.26 दक्षिण भाग	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक-पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

20/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)